ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

Prof.(Dr.) Anil K. Rai 'Ankit'
Dean : School of Humanities & Social Sciences
Dean : Student's Walfare
Director : Centre for Communication and Media Studies

प्रो. (डॉ.) अनिल के. राय 'अंकित'
अधिष्ठाता : मानविकी व सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
अधिष्ठाता : विद्यार्थी कल्याण
निदेशक : संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र

पत्रांक : 13/2008/छ.क.54 /2015
दिनांक: 06.04.15

परिपत्र/सूचना

विद्यार्थी कल्याण कोष की स्थापना

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत/शोधरत विद्यार्थियों के आपातकालीन/अति आवश्यक आर्थिक सहयोग हेतु 'विद्यार्थी कल्याण कोष' स्थापित करने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जाती रही है। प्रायः देखा जाता है कि जरूरतमंद विद्यार्थी समय-समय पर अनेक कारणों से आर्थिक सहयोग के लिए प्रार्थना-पत्र देते रहते हैं, परंतु धनाभाव अथवा वित्तीय प्रावधानों के तहत व्यवस्था न होने के कारण हम चाहकर भी उनका सहयोग नहीं कर पाते जिससे संबंधित विद्यार्थी को कई तरह के तनावों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित सहयोग के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 'विद्यार्थी कल्याण कोष' की स्थापना की गई है जो एक नवाचारी कदम है।

विद्यार्थी कल्याण कोष के लिए प्रवेश के समय अभ्यर्थी (प्रत्येक विद्यार्थी/शोधार्थी) से रू. 500/- शुल्क के साथ लिया जाएगा। साथ ही, विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों, कर्मचारियों से भी इस निमित्त अंशदान के लिए आग्रह किया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी अपेक्षा है कि वह विद्यार्थी कल्याण कोष के लिए आंशिक वित्तीय व्यवस्था करे।

विद्यार्थी कल्याण कोष का संचालन तथा विद्यार्थियों/शोधार्थियों से आर्थिक सहयोग के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार एवं निर्णय मा. कुलपति जी द्वारा गठित एक स्थायी समिति करेगी।

06/04/2015

(प्रो. अनिल कुमार राय)
अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण

प्रतिलिपि :

1. मा. कुलपति महोदय।
2. मा. प्रतिकुलपति महोदय।
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, प्रभारी।
4. कुलसचिव (शिक्षकों एवं कर्मचारियों से अंशदान की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित)
5. वित्ताधिकारी (वित्तीय/लेखाजन्य व्यवस्था करना अपेक्षित)
6. प्रभारी, कोलकाता एवं इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र।
7. संयुक्त कुलसचिव (अका.)।
8. हिंदी अधिकारी, वेब साइट अपलोड हेतु।
9. सूचना-पट्ट।
10. संबंधित पत्रावली।

गांधी हिल्स, वर्धा – 442005 (महाराष्ट्र) भारत
Gandhi Hill, Wardha- 442005 (Maharashtra), INDIA
Mob.: 09422905749 Ph. Off. 07152-251170 Ph. Res. 07152251068
Email : raianilankit@gmail.com **ccmswardha@gmail.com**
Website: www.hindivishwa.org **www.ccmswardha.wordpress.com**